47

III/पुनर्विलोकन/दतिया/भू.रा./2017/3079

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक:- /२०१७ नि०/ पुनराविलोकन

हरनारायण पुत्र सीताराम, निवासी-ग्राम-काशीपुर, तेहसील भाण्डेर, जिला दतिया-मध्यप्रदेश ।

------ प्रार्थी

विरुद्ध

१- चन्द्रप्रकाश | पुत्रगण गोविन्ददास श्रीवास्तव
२- सूर्यप्रकाश |

दोनों निवासीगण ग्राम काशीपुर, तेहसील भाण्डेर, जिला दतिया-मध्यप्रदेश ।

३- मध्यप्रदेश शासन

---- प्रतिप्रार्थीगण

पुनरविलोकन आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा ५१ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ विरुध्द प्र०क्र० दो/निगरानी/दतिया/भू०रा०/२०१७/२४०४ आदेश दिनांकी ४-८-१७ पारित माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश (पीठासीन माननीय एम०एस० अली, सदस्य राजस्व मण्डल-म०प्र०) ।

श्रीमान् जी,

पुनराविलोकन आवेदन-पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, इस माननीय न्यायालय की विवादित आज्ञा अभिलेख एवं विधि के प्रावधानों की प्रत्यक्ष भूल पर आधारित होने से निरस्ती योग्य है ।

२- यह कि, विवादित आदेश पारित किये जाने के पूर्व प्रार्थी को प्रकरण में सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है, जो न केवल विधि के प्रावधानों के विपरीत है, अपितु प्राकृतिक न्याय सिध्दान्तों के विपरीत भी है । यह स्पष्ट भूल अभिलेख देखने से ही स्पष्ट है ।

३- यह कि, विवादित आदेश पारित करते समय भू-राजस्व संहिता म०प्र० १९५९ की धारा ५०(४) के प्रावधान दृष्टि ओझल हुये हैं । इस उपधारा के प्रावधानों के अनुसार हितधारी व्यक्ति को

...कृपा महोदय
क्रमशः---२

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/रिव्यु/दतिया/भूरा/2017/3079

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
9 –7–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। 2–आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी द्वारा यह रिव्यु आवेदन प्र0 कमांक दो/निगरानी/दतिया/भूरा/2017/2404 में पारित आदेश दिनांक 4.8.17 के विरूद्व इस न्यायालय में म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण में आदेश करने के पूर्व आवेदक को सुना नहीं गया है। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख प्राप्त किये बिना एवं उनका अवलोकन किये बिना ही ग्राह्यता के बिन्दु पर आदेश पारित किया गया है, माननीय म0 प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्वांत के विपरीत है इस संबंध में प्रकाशित निर्णयों एवं अभिनिर्धारणों पर विचार किये बिना ही पारित आदेश पुनराविलोकन का पर्याप्त आधार है इस लिये रिव्यु आवेदन मान्य करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि निगरानी आवेदन पत्र विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रचलनशील न होने से गुणदोष	

पर पारित विवादित आदेश अधिकार रहित होने से पुनराविलोकन योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक का पुनराविलोकन आवेदन स्वीकार कर निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4.8.17 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक द्वारा जो पुनरावलोकन किया गया है उसमें जो आधार बताये गये है वह पुनरावलोकन की श्रेणी में नहीं आते है। रिव्यु आवेदन में यह तथ्य विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अनावेदक अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह था कि

अपर आयुक्त के न्यायालय में उनको सुने बगैर ही आदेश पारित किया गया था। निगरानी प्रकरण कमांक दो/दतिया/निगरानी/भूरा/2017/2404 में आदेश दिनांक 4.8.17 पारित किया गया है उसमें अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर को प्रकरण प्रत्यावर्तित कर उभयपक्षों को सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये तथा नई अक्श एवं पुरानी अक्श का मिलान कर आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी प्रकरण कमांक दो/दतिया/निगरानी/भूरा/2017/2404 में पारित आदेश दिनांक 4.8.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह रिव्यु आवेदन तथ्यहीन होने से निरस्त किया जाता है।

सदस्य